ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1482

पत्रांक संख्या :- 68(17)B

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 01/09/2025

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

AJOY KUMAR SINGH
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY
NEPAL HOUSE, RANCHI

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।

द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : SANCTION FOR MUKHYAMANTRI DIGITAL HEALTH MISSION

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 20 - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के, राज्य स्कीम
मुख्यशीर्ष - 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
उपमुख्य शीर्ष - 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी

राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
001-निदेशन और प्रशासन	□25,00,00,000.00
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	□25,00,00,000.00
कुलराशि :-	**□50,00,00,000.00**

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है ।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
20S221001796930781	93 - सूचना प्रोद्यौगिकी सक्षम सेवाएँ	81 - सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	
20S221001001930781		81 - सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा ।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

234

संचिका सं0 17 / ABDM–01–06 / 2024 68 (17) क

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची। दिनांक : 01.09.2025

विषय– राज्य योजना अंतर्गत झारखण्ड राज्य में अगले 05 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30) के लिए "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना" को चरणवद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में लागू किए जाने हेतु कुल राशि रू0 299.30 (दो सौ निनावे करोड़ तीस लाख) रूपये के अनुमानित लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प सं0 18(17), दिनांक 14.05.2025 के आलोक में राज्य योजना अंतर्गत झारखण्ड राज्य में अगले 05 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30) के लिए "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना" को चरणवद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में लागू किए जाने हेतु कुल राशि रू0 299.30 (दो सौ निनावे करोड़ तीस लाख) रूपये के अनुमानित लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

योजना की संक्षिप्त विवरणी निम्नलिखित है:–

2. डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम को झारखण्ड राज्य में क्रियान्वित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनों तक सुलभ करने एवं डिजिटल तकनीक के माध्यम से इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य में डिजिटल हेल्थ योजना प्रारम्भ किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

2.1 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के सभी अवयवों को स्वास्थ्य संस्थानों में लागू कराना।

2.2 Real-Time Communication के माध्यम से डॉक्टर, पारा कर्मी और अन्य स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा Wi-Fi से जुड़े मोबाइल उपकरणों का उपयोग करना ताकि इनके द्वारा अपडेट साझा किया जा सके और रोगी के देखभाल में समन्वय स्थापित किया जा सके।

2.3 Managed Wi-Fi enabled टेलीमेडिसिन सेवाओं की सुविधा प्रदान करना जिससे व्यक्ति को सुदूर क्षेत्र से ही विशेषज्ञों से परामर्श करने की सुविधा मिलती रहे, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

68 (17)
01/09/2025

किरण सोरेंग	विद्यानंद शर्मा पंकज	अजय कुमार सिंह
(अवर सचिव।)	(अपर सचिव)	(अपर मुख्य सचिव।)

2.4 प्रशासनिक कार्यों, इन्वेंट्री प्रबंधन और अन्य परिचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, जिससे समग्र दक्षता में सुधार होगा और स्वास्थ्य कर्मियों की कार्य क्षमता में सुधार होगा।

2.5 बुनियादी चिकित्सीय जाँच एवं सामुदायिक स्वास्थ पहल का स्वचालीकरण (Automation) करना।

2.6 राज्य की जनता के लिए 24 X 7 आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श प्राप्त करने की स्वचालित तकनीक के माध्यम से व्यवस्था करना।

2.7 राज्य की जनता के स्वास्थ्य का अनुश्रवण एवं उसमें सहयोग प्रदान करना।

2.8 मरीजों की चिकित्सीय जाँच एवं परामर्श को डिजिटल तकनीक के माध्यम से संधारित करना ताकि किसी भी चिकित्सीय संस्थान में उन्हें जाँच रिपोर्ट का कागज ले जाने की आवश्यक्ता नहीं हो।

2.9 मरीजों के लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/उच्च चिकित्सीय सुविधा केन्द्रों पर रेफर करने एवं उनके आवागमन की निर्बाध सुविधा प्रदान करने में डिजिटल तकनीक का प्रयोग करना।

3. राज्य की जनता को समुचित चिकित्सीय लाभ उपलब्ध कराने एवं राज्य की स्वास्थ्य सुविधा की प्रशासनिक एवं संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ करने में काफी सहायता मिलेगी :-

3.1 पेशेवर चिकित्सीय व्यवस्था एवं सहायता की उपलब्धता एवं उनका अनुश्रवण आसानी से हो सकेगा।

3.2 राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली का एकरूप मानक तैयार करने में आसानी होगी।

3.3 राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था एवं संलग्न कर्मियों/संस्थानों/उपकरणों की कार्य क्षमता एवं कार्य प्रणाली का बेहतर प्रबंधन हो पाएगा तथा साथ ही साथ इसके परिणामों का भी बेहतर विश्लेषण हो पाएगा।

3.4 राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था का डिजिटल तकनीक के माध्यम से एकीकरण हो सकेगा।

3.5 राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था एवं आम जनों के हेल्थ रिकॉर्डस के आंकडे डिजिटल तकलीक के माध्यम से उपलब्ध रहने पर भविष्य के नीति निर्धारण में इनका उपयोग हो सकेगा।

4. उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु झारखण्ड राज्य में **"मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना"** के नाम से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन चरणवद्ध तरीके से किया जाएगा जिसके तहत प्रथम वर्ष में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ के विभिन्न मानकों का क्रियान्वयन किया जाएगा। योजना के द्वितीय वर्ष में अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक डिजिटल हेल्थ के विभिन्न मानकों का क्रियान्वयन एवं वृहत स्तर पर क्षमता सम्बर्धन का कार्य किया जाएगा। योजना के शेष अवधि में डिजिटल हेल्थ के सम्पूर्ण क्रियान्वयन का Hand holding किया जाएगा एवं इसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। योजना के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाऐंगे :-

4.1 सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यकतानुसार आई0टी0 हार्डवेयर यथा Computer, Printer, Scanner, Display Board, Biometric Scanner, ABHA Card Scanner इत्यादि सामग्री उपलब्ध कराना।

4.2 सभी चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में Health Management Information System (HMIS) का क्रियान्वयन करना।

किरण सोरेंग (अवर सचिव।)	विद्यानंद शर्मा पंकज (अपर सचिव)	अजय कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव।)

232

4.3 राज्य मुख्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं समस्त जिला अस्पतालों में एक अत्याधुनिक Command & Control Centre का निर्माण किया जाएगा।

4.4 चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि में High Speed Internet की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

4.5 राज्य के सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति एवं उनकी उपस्थिति की Cross Verification की नयी डिजिटल व्यवस्था शुरू की जाएगी।

4.6 स्वास्थ्य योजनाओं की बेहतर समीक्षा एवं नीति निर्धारण हेतु विभागीय स्तर पर एक Dashboard तैयार किया जाएगा जिससे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक ही स्थान पर अनुश्रवण हो सकेगा।

4.7 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सभी Components का क्रियान्वयन किया जाएगा।

4.8 डिजिटल स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य भर में वृहद् रूप से चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता संवर्धन किया जाएगा।

5. **सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यकतानुसार आई0टी0 हार्डवेयर यथा Computer, Printer, Scanner, Display Board, Biometric Scanner, ABHA Card Scanner इत्यादि सामग्री उपलब्ध कराना–**

5.1 डिजिटल हेल्थ योजना के तहत सभी चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक आई0टी उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। सभी चिकित्सीय महाविद्यालय एवं जिला अस्पतालों में किए गए Gap Analysis के आधार पर आई0टी उपकरणों का आंकलन किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अद्द 05 **Computer** एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अद्द 03 **Computer** के अलावा अन्य आवश्यक आई0टी0 उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। आई0टी0 उपकरणों का Specification JAP IT द्वारा की गई **vetting** के मानक के अनुरूप है।

5.2 स्वास्थ्य संरचनाओं के Gap Analysis के आधार पर किए गए आंकलन के आधार पर निम्न प्रकार से आई0टी0 उपकरण चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराए जाऐंगे :–

68(17) 01/09/2025

किरण सोरेंग	विद्यानंद शर्मा पंकज	अजय कुमार सिंह
(अवर सचिव।)	(अपर सचिव)	(अपर मुख्य सचिव।)

5.2.1 मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल :–

Medical Collage (Rs in Lakhs)												
S. No	Facility Name (Med. College & Hospital)	Total Existin g PC need to upgra de	Total Requir ed PCs	Total PC Require d (Old+Ne w)	Price @20K/ PC Rs in Lakhs	Total(A BHA scanner +Biome tric Scanner +Printer)	Screen Price @ 38 K per Screen	Total	Tota l ABH A scan ner	Total Biome tric Finger Scanne r	Total Print er cum Scan ner	No of screen Requir ed
1	RIMS	158	235	393	471.6	131.72	17.50	620.82	45	45	393	45
Sub Total RIMS		158	235	393	471.6	131.72	17.50	620.82	45	45	393	45
Medical College												
1	Hazaribagh Med. Collg	6	26	32	38.4	10.61	2.66	51.67	1	1	32	7
2	Dumka Med. Collg	6	28	34	40.8	11.27	3.80	55.87	1	1	34	10
3	Palamu Med. Collg	8	21	29	34.8	9.62	1.52	45.94	1	1	29	4
4	Mgm Med. Collg (E.S)	6	19	25	30	8.30	2.66	40.96	1	1	25	7
5	PMCH Dhanbad	12	97	109	130.8	36.02	6.08	172.90	1	1	109	16
Sub Total Med. Collg		38	191	229	274.8	75.80	16.72	367.32	5	5	229	44
District Hospital												
1	Ranchi	10	72	82	98.4	27.11	8.74	134.25	1	1	82	23
2	Dhanbad	4	13	17	20.4	5.66	6.84	32.90	1	1	17	18
3	Chatra	2	16	18	21.6	5.99	1.90	29.49	1	1	18	5
4	Giridih	6	23	29	34.8	9.62	2.28	46.70	1	1	29	6
5	Deoghar	5	29	34	40.8	11.27	1.90	53.97	1	1	34	5
6	Bokaro	10	22	32	38.4	10.61	1.90	50.91	1	1	32	5
7	Simdega	4	13	17	20.4	5.66	1.90	27.96	1	1	17	5
8	Khunti	6	19	25	30	8.30	1.52	39.82	1	1	25	4
9	Gumla	4	25	29	34.8	9.62	1.14	45.56	1	1	29	3
10	Sarikela	1	15	16	19.2	5.33	6.08	30.61	1	1	16	16
11	Godda	5	21	26	31.2	8.63	2.66	42.49	1	1	26	7
12	Lohardagga	3	21	24	28.8	7.97	1.52	38.29	1	1	24	4
13	E. Singhbhum	3	21	24	28.8	7.97	4.18	40.95	1	1	24	11
14	Koderma	10	24	34	40.8	11.27	1.52	53.59	1	1	34	4
15	Garwha	1	11	12	14.4	4.01	0.76	19.17	1	1	12	2
16	W.Singhbhum	5	22	27	32.4	8.96	7.22	48.58	1	1	27	19
17	Jamtara	3	14	17	20.4	5.66	2.66	28.72	1	1	17	7
18	Latehar	1	16	17	20.4	5.66	1.14	27.20	1	1	17	3
19	Pakur	0	17	17	20.4	5.66	0.00	26.06	1	1	17	0
20	Sahebganj	7	11	18	21.6	5.99	2.28	29.87	1	1	18	6
21	Ramgarh	4	23	27	32.4	8.96	1.90	43.26	1	1	27	5
Sub Total District		94	448	542	650.4	179.81	60.04	890.25	21	21	542	158

किरण सोरेंग
(अवर सचिव।)

विद्यानंद शर्मा पंकज
(अपर सचिव)

अजय कुमार सिंह
(अपर मुख्य सचिव।)

5.2.2 अनुमण्डल अस्पताल / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रः—

SDH-CHC														
Computer/ Screen / IT peripheral Requirement - SDH/CHS Rs in Lakhs														
S. No	Name of District	Total Existing PC need to upgrade	Required Screen (CHC + SDH)	Total PC (CHC + SDH)	Price @ 120 K per PC Rs in Lakhs	Total (ABHA scanner + Biometric Scanner+ Printer)	Screen Price @ 38 K per Screen	Total	Total ABHA scanner	Total Biometric Scanner	Total Printer cum Scanner	No of screen Required	No. of SDH	No of CHC
1	Ranchi	0	14	70	84	5.23	5.32	94.55	14	14	14	14	1	13
2	Dhanbad	0	8	40	48	3.15	3.04	54.19	8	8	8	8	0	8
3	Chatra	0	6	30	36	2.25	2.28	40.53	6	6	6	6	0	6
4	Hazaribagh	0	11	55	66	4.13	4.18	74.31	11	11	11	11	1	10
5	Giridih	0	12	60	72	4.50	4.56	81.06	12	12	12	12	0	12
6	Dumka	0	10	50	60	3.75	3.8	67.55	10	10	10	10	0	10
7	Deoghar	0	8	40	48	3.00	3.04	54.04	8	8	8	8	1	7
8	Bokaro	0	11	55	66	4.13	4.18	74.31	11	11	11	11	3	8
9	Simdega	0	7	35	42	2.63	2.66	47.29	7	7	7	7	0	7
10	Khunti	0	6	30	36	2.25	2.28	40.53	6	6	6	6	0	6
11	Gumla	0	11	55	66	4.13	4.18	74.31	11	11	11	11	0	11
12	Sarikela	0	9	45	54	3.38	3.42	60.80	9	9	9	9	1	8
13	Godda	0	7	35	42	2.63	2.66	47.29	7	7	7	7	0	7
14	Lohardagga	0	5	25	30	1.88	1.9	33.78	5	5	5	5	0	5
15	E. Singhbhum	0	16	80	96	6.00	6.08	108.08	16	16	16	16	1	15
16	Koderma	0	4	20	24	1.50	1.52	27.02	4	4	4	4	0	4
17	Garwha	0	8	40	48	3.00	3.04	54.04	8	8	8	8	1	7
18	W.Singhbhum	0	10	50	60	3.75	3.8	67.55	10	10	10	10	1	9
19	Palamu	0	10	50	60	3.75	3.8	67.55	10	10	10	10	2	8
20	Jamtara	0	4	20	24	1.50	1.52	27.02	4	4	4	4	0	4
21	Latehar	0	7	35	42	2.63	2.66	47.29	7	7	7	7	0	7
22	Pakur	0	6	30	36	2.25	2.28	40.53	6	6	6	6	0	6
23	Sahebganj	0	7	35	42	2.63	2.66	47.29	7	7	7	7	1	6
24	Ramgarh	0	4	20	24	1.50	1.52	27.02	4	4	4	4	0	4
Sub Total SDH-CHC			201	1005	1206	75.51	76.38	1357.89	201	201	201	201	13	188

किरण सोरेंग
(अवर सचिव।)

विद्यानंद शर्मा पंकज
(अपर सचिव)

अजय कुमार सिंह
(अपर मुख्य सचिव।)

(29)

5.2.3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रः–

PHC													
Computer/ Screen / IT peripheral Requirement - PHC (Rs in Lakhs)													
S.No	Name of District	Total Existing PC need to upgrade	Total Required PC	Total PC (Required PC x Number of PHC)	Price @ 120 K per PC (Rs in Lakhs)	Total (ABHA scanner + Biometric Scanner+Printer) (Rs in Lakhs)	Price @ 38 K per Screen ((Rs in Lakhs)	Total cost of PHC (Rs in Lakhs)	Total Abha Scanner	Total Biometric Finger print Scanner	Total Printer cum Scanner	No of screen Required	No. of PHC
1	Ranchi	0	3	78	93.60	29.25	9.88	132.73	78	78	78	26	26
2	Dhanbad	0	3	78	93.60	29.25	9.88	132.73	78	78	78	26	26
3	Chatra	0	3	24	28.80	9.00	3.04	40.84	24	24	24	8	8
4	Hazaribagh	0	3	39	46.80	14.63	4.94	66.37	39	39	39	13	13
5	Giridih	0	3	42	50.40	15.75	5.32	71.47	42	42	42	14	14
6	Dumka	0	3	102	122.40	38.25	12.92	173.57	102	102	102	34	34
7	Deoghar	0	3	33	39.60	12.38	4.18	56.16	33	33	33	11	11
8	Bokaro	0	3	48	57.60	18.00	6.08	81.68	48	48	48	16	16
9	Simdega	0	3	21	25.20	7.88	2.66	35.74	21	21	21	7	7
10	Khunti	0	3	15	18.00	5.63	1.90	25.53	15	15	15	5	5
11	Gumla	0	3	3	3.60	1.13	0.38	5.11	3	3	3	1	1
12	Sarikela	0	3	30	36.00	11.25	3.80	51.05	30	30	30	10	10
13	Godda	0	3	27	32.40	10.13	3.42	45.95	27	27	27	9	9
14	Lohardagga	0	3	36	43.20	13.50	4.56	61.26	36	36	36	12	12
15	E. Singhbhum	0	3	63	75.60	23.63	7.98	107.21	63	63	63	21	21
16	Koderma	0	3	27	32.40	10.13	3.42	45.95	27	27	27	9	9
17	Garwha	0	3	36	43.20	13.50	4.56	61.26	36	36	36	12	12
18	W.Singhbhum	0	3	54	64.80	20.25	6.84	91.89	54	54	54	**18**	18
19	Palamu	0	3	75	90.00	28.13	9.50	127.63	75	75	75	25	25
20	Jamtara	0	3	45	54.00	16.88	5.70	76.58	45	45	45	15	15
21	Latehar	0	3	24	28.80	9.00	3.04	40.84	24	24	24	8	8
22	Pakur	0	3	36	43.20	13.50	4.56	61.26	36	36	36	12	12
23	Sahebganj	0	3	30	36.00	11.25	3.80	51.05	30	30	30	10	10
24	Ramgarh	0	3	24	28.80	9.00	3.04	40.84	24	24	24	8	8
Sub Total PHC		**0**	**72**	**990**	**1188**	**371.25**	**125.4**	**1685**	**990**	**990**	**990**	**330**	**330**

68(17)
01/09/2025

किरण सोरेंग
(अवर सचिव।)

विद्यानंद शर्मा पंकज
(अपर सचिव)

अजय कुमार सिंह
(अपर मुख्य सचिव।)

228

5.2.4 उक्त उपकरणों के क्रय हेतु कुल अनुमानित राशि रू0 4921.28 लाख है, जो निम्नवत् है:-

संस्थान का नाम	उपस्कर हेतु अनुमानित राशि (रूपये लाख में)
मेडिकल कॉलेज	988.14
जिला अस्पताल	890.25
अनुमण्डलीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1357.89
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1685.00
कुल	**4921.28**

झारखण्ड राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमण्डलीय अस्पतालों, जिला अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों आदि में आवश्यकतानुसार आई0टी0 हार्डवेयर यथा Computer, Printer, Scanner, Display Board, Biometric Scanner, ABHA Card Scanner इत्यादि का क्रय हेतु कुल राशि 4921.28 लाख रूपये पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा उक्त उपकरणों का क्रय JHARKHAND MEDICAL AND HEALTH INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND PROCUREMENT CORPORATION LIMITED के द्वारा किया जायेगा।

6. **चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि में High Speed Internet की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी–**

6.1 डिजिटल हेल्थ योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु High Speed Internet (Managed WIFI) की व्यवस्था की जाएगी। High Speed Internet की व्यवस्था करने से बुनियादि चिकित्सीय सुविधा, Telemedicine की सेवाऐं, स्वास्थ्य कर्मियों का Online प्रशिक्षण, सतत् नवीनतम चिकित्सा ज्ञान की जानकारी इत्यादि से update रहने से मदद् होगा।

6.2 झारखण्ड राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL के द्वारा Internet/ Managed WIFI की सुविधा दी जा रही है। प्राईवेट ऑपरेटर की Internet/ Managed WIFI सेवा की पहुँच अभी भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों/Hilli Area में बहुत कम है। ऐसी स्थिति में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल हेल्थ की सुविधा हेतु Internet/ Wi-Fi की सेवा प्राप्त करने के लिए BSNL ही एक उपयुक्त Platform है।

6.3 तद्नुसार भारत संचार निगत लिमिटेड, राँची द्वारा राज्य के 330 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 13 अनुमंडलीय अस्पताल, 21 जिला अस्पताल, 05 चिकित्सा महाविद्यालयों, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थाना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कैम्पस, राँची में Internet/ Managed WIFI की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा OPEX Model (Operating Expense of Expenditure) Model के आधार पर किया जाएगा। इसमें CAPEX (Capital Expenditure and Expense) शून्य होगा, जिसकी विवरणी निम्नवत् है–

68(17)
01/09/2025

किरण सोरेंग (अवर सचिव।)	विद्यानंद शर्मा पंकज (अपर सचिव)	अजय कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव।)

227

Scope	Total Locations	Proposed AP/Location	Total Aps.	Bandwidth/Site	Plan Cost/Site (in Rs.)	Total Amount per Year (in Rs.)	Total Amount per year with GST (in Rs.)
PHC	330	2	660	2 Mbps	96,000	3,16,80,000	3,73,82,400
CHC	188	4	752	10 Mbps	2,50,000	4,70,00,000	5,54,60,000
Medical Colleges	5	150	750	700 Mbps	80,50,000	4,02,50,000	4,74,95,000
RIMS	1	600	600	2Gbps	92,00,000	1,84,00,000	2,17,12,000
District Hospital	20	10	200	40 Mbps	5,50,000	1,10,00,000	1,29,80,000
Sub Division Hospital	13	7	91	30 Mbps	4,80,000	62,40,000	73,63,200
NHM Campus	1	50	50	200 Mbps	28,50,000	28,50,000	33,63,000
DH-Sadar (Ranchi)	1	50	50	200 Mbps	28,50,000	28,50,000	33,63,000
Total	**559**	**873**	**3153**			**16,02,70,000**	**18,91,18,600**

S.No	Particulars	Cost/Rate	Available	Remarks
1	Capex (Cost of Technical Equipments for construction of Managed WIFI Network like Core, Router, Controller, Switches, Access Points (APs) etc	Zero (0)	Yes	No additional charge
2	Annual Maintenance Cost (AMC)	Zero (0)	Yes	No additional charge
3	Installation Charges	Zero (0)	Yes	No additional charge
4	NOC, Monitoring , Reporting and customer support	Zero (0)	Yes	No additional charge
5	Managed WIFI Core-NOC, AAA, Billing, Logging	Zero (0)	Yes	No additional charge
6	OTP based	Zero (0)	Yes	No additional charge
7	Annual Rental (Managed WIFI network + BW)	As per Nos of AP plan and BW		As per commercial Plan

68(17)
01/09/2025

किरण सोरेंग
(अवर सचिव।)

विद्यानंद शर्मा पंकज
(अपर सचिव)

अजय कुमार सिंह
(अपर मुख्य सचिव।)

6.4 राज्य मुख्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक अत्याधुनिक CCTV युक्त Control Centre में ILL (Internet Lease line) की सुविधा BSNL के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जिससे सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्य स्थानों पर चल रही गतिविधियों पर विभिन्न स्तर से निगरानी किया जा सके। BSNL के द्वारा CCTV युक्त Control Centre में ILL (Internet Lease line) की सुविधा हेतु प्रतिवर्ष व्यय की राशि रू0 564.65 लाख हैं।

6.5 BSNL के द्वारा Managed WIFI supply, Installation, Testing and Commissioning, Monitoring एवं Maintanance एवं Control Centre में ILL (Internet Lease line) की सुविधा हेतु प्रतिवर्ष राशि निम्नवत् है:–

Sl. No.	Year	High speed managed WIFI services	ILL (Internet Lease line) for Control centre (रिम्स को छोड़कर)	Total
		Total amount with GST (in Lakhs.)		
1	1st Year	1891.18	564.65	2455.83
2	2nd Year	1891.18	564.65	2455.83
3	3rd Year	1891.18	564.65	2455.83
4	4th Year	1702.05	564.65	2266.7
5	5th Year	1512.94	564.65	2077.59
Total		**8888.53**	**2823.25**	**11711.78**

उक्त के क्रय हेतु कुल अनुमानित राशि रू0 11711.78 लाख है।

6.6 BSNL के द्वारा सभी चिन्हित स्वास्थ्य केन्द्रों में Managed WIFI supply, Installation, Testing and Commissioning, Monitoring एवं Maintanance करेगा। BSNL आगामी 03 वर्षों के लिए Internet/ Managed WIFI की सुविधा उपलब्ध कराएगा। 03 वर्ष के उपरांत Performance के आधार पर आगामी दो वर्ष की समयावधी बढायी जा सकेगी। BSNL द्वारा जिला/राज्य स्तर पर Internet सुविधा के सुचारू संचालन से संबंधित अनुश्रवण हेतु Dedicated Manpower जिला एवं राज्य मुख्यालय पर उपलब्ध कराएगा।

किरण सोरेंग (अवर सचिव।)	विद्यानंद शर्मा पंकज (अपर सचिव)	अजय कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव।)

झारखण्ड राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमण्डलीय अस्पतालों, जिला अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों आदि में **Managed Wi-Fi** की सुविधा एवं **Control Centre** में **ILL (Internet Lease line)** की सुविधा प्रदान करने हेतु 05 वर्ष में कुल राशि **11711.78** लाख रूपये का अनुमानित व्यय है। वित्त नियमावली के नियम–235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं वित्त नियमावली के नियम–245 के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड का मनोनय किया गया है।

7. सभी चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में **Hospital Management Information System (HMIS)** का क्रियान्वयन करना–

7.1 राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डिजिटल हेल्थ योजना के तहत एकीकृत HMIS का क्रियान्वयन किया जाएगा। मरीजों के सभी रेकर्ड जैसे मेडिकल हिस्ट्री, लैब रिपोर्ट, फार्मेसी रिपोर्ट इत्यादि का केन्द्रीकृत प्रणाली में संग्रहण से मरीजो के बेहतर इलाज में मदद मिलेगा।

7.2 विभागीय संकल्प संख्या–131, दिनांक–28.08.2017 से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) का चरणवद्ध रूप से अधिस्थापन करने हेतु e-Hospital का क्रियान्वयन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के द्वारा किया जा रहा है। NIC के द्वारा समुचित तकनीकि सुविधा ससमय उपलब्ध नहीं किए जाने के कारण चिकित्सा महाविद्यालयों में एवं जिला अस्पतालों में HMIS के सभी मॉडयूलस का क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो रही एवं निर्धारित समयावधि में HMIS के सभी मॉडयूलस का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अतः विभागीय संकल्प संख्या–131, दिनांक–28.08.2017 को विलोपित करते हुए राज्य में CDAC, जो भारत सरकार का उपक्रम है, से राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में HMIS के विभिन्न मॉडयूल्स का क्रियान्वयन कराये जायेगा। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार हैः–

Sl. No.	Facility Type	Facilities count
1	Medical College	6
2	District Hospital (DH)	21
3	Sub Divisional Hospital (SDH)	13
4	Community Health Center (CHC)	188
5	Primary Health Center(PHC)	330
6	Ayushman Arogya Mandir (Health Sub Center) (AAM)	3958

किरण सोरेंग
(अवर सचिव।)

विद्यानंद शर्मा पंकज
(अपर सचिव)

अजय कुमार सिंह
(अपर मुख्य सचिव।)

7.3 HMIS के क्रियान्वयन हेतु CDAC के द्वारा अस्पतालों में निम्नलिखित Modules का क्रियान्वयन तत्काल किया जायेगा एवं भविष्य में अन्य Modules को भी जिला अस्पतालों में अंगीकृत किया जायेगा :–

Sl. No.	Module to implement
1	Registration & Enquiry
2	Emergency
3	OPD
4	IPD
5	ADT
6	Pharmacy
7	Lab
8	Billing

7.4 CDAC के द्वारा HMIS का क्रियान्वयन समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रथम तीन वर्ष हेतु किया जायेगा एवं कार्य की समीक्षा के उपरान्त तीन वर्ष के पश्चात् कार्यादेश की अवधि विस्तारित किया जा सकेगा। प्रथम तीन वर्षों हेतु CDAC से निम्न वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त है:–

S. No.	ENTITY	Costing (INR in Lakhs Year – 1)	Costing (INR in Lakhs Year – 2)	Costing (INR in Lakhs Year – 3)
A.1	**Software Solution**			
A.2	**e-Sushrut HMIS Platform On Boarding Charges**			
	Sub Total (A)	**555.92**	**178.59**	**196.44**
B.	**Integration**			
	Sub Total (B)	**45**	0	0
C.	**Data Center Services**			
	Sub Total (C)	**71.69**	**78.26**	**85.48**
D.	**Associated Services**			
	Manpower Deployment At State HQ			
	At CDAC-N			
	Sub Total (D)	**222.73**	**236.86**	**245.01**
	Total (A+B+C+D)	**895.34**	**493.71**	**526.94**
	Grand Total For 3 Years(Exclusive GST)			**1915.99**
	Grand Total For 3 Years (Inclusive GST)			**2260.87**
E.	Other Optional Servicess (Intigration with third party & Data poarting charges			125
	Total (A+B+C+D) + Other Optional Servicess (Inclusive GST)			**2385.87**

68(17) 01/09/2025

किरण सोरेंग (अवर सचिव।)	विद्यानंद शर्मा पंकज (अपर सचिव)	अजय कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव।)

झारखण्ड राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमण्डलीय अस्पतालों, जिला अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों आदि में **HMIS** की सुविधा प्रदान करने हेतु 05 वर्ष में कुल 2385.87 लाख रूपये का अनुमानित व्यय है। झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम–235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम–245 के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या–131, दिनांक–28.08.2017 को शिथिल करते हुए राज्य में **CDAC**, जो भारत सरकार का उपक्रम है, का मनोनयन किया गया है।

8. **राज्य मुख्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं समस्त जिला अस्पतालों में एक अत्याधुनिक CCTV युक्त Control Centre का निर्माण किया जाएगा :–**

8.1 मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत राज्य के स्वास्थ्य सुविधा के अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु राज्य मुख्यालय में एक अत्याधुनिक Control Centre का निर्माण किया जाएगा जिसके तहत राज्य के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत विभिन्न मुख्य स्थानों पर कैमरा का अधिस्थापन किया जाएगा जिसके द्वारा राज्य स्तर से ही अस्पतालों के अन्तर्गत दी जा रही सुविधाओं का अनुश्रवण किया जायेगा।

8.2 इसके तहत राज्य एवं जिला स्तर से सीधा समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। जिला स्तर पर अधिस्थापित Control Centre द्वारा ना सिर्फ जिला अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं का अनुश्रवण किया जाएगा, अपितु वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों का भी क्षमता संवर्धन किया जा सकेगा।

8.3 समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में End to End CCTV Solution हेतु किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया जायेगा।

8.4 समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में End to End CCTV Solution हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के आलोक में बाह्य एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से किया जायेगा। उक्त एजेंसी प्रथम तीन वर्षों के लिए CCTV का अधिष्ठापन एवं Operation & Maintanance का कार्य करेगी। कार्य संतोषप्रद रहने की स्थिति में अगले दो वर्ष का कार्य विस्तार किया जा सकेगा।

किरण सोरेंग (अवर सचिव।)	विद्यानंद शर्मा पंकज (अपर सचिव)	अजय कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव।)

222

8.5 Control Centre के अधिष्ठापन हेतु अनुमानित लागत निम्नवत् हैः–

Sl. No.	Description	BSNL Cost (in Lakh)
1	Cost of Supply, Installation & Commissioning Charges of items with one year warranty (in Rs)	4243.52
2	Second Year CAMC (in Rs)	338.13
3	Third Year CAMC (in Rs)	464.93
4	Fourth Year CAMC (in Rs)	464.93
5	Fifth Year CAMC (in Rs)	464.93
	Total Project Value for 5 Years - Exclusive of GST (in Rs.)	5976.44
	GST Amount (@18%), (in Rs.)	1075.75
	Total Project Value for 5 Years including of GST (in Rs.)	7052.19

समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में **Control Centre** के अधीष्ठापन एवं **CCTV, Monitor (TV)** एवं अन्य संबंधित उपकरण हेतु कुल अनुमानित राशि **7052.19** लाख रूपये (सत्तर करोड बावन लाख उन्नीस हजार रूपये) का व्यय किया जाएगा एवं उपकरणें का क्रय **JHARKHAND MEDICAL AND HEALTH INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND PROCUREMENT CORPORATION LIMITED** के द्वारा किया जायेगा एवं इससे संबंधित **Software** का **Integaration, Dashboard** तैयार करने वाली एजेंसी के द्वारा किया जाएगा।

9. **स्वास्थ्य योजनाओं की बेहतर समीक्षा एवं नीति निर्धारण हेतु विभागीय स्तर पर एक Dashboard तैयार किया जाएगा जिससे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक ही स्थान पर अनुश्रवण हो सकेगा :–**

9.1 मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अन्तर्गत एक Dashboard तैयार किया जाएगा जिसमें Hospital Information Management System (HMIS), Enterprises Resource Planning (ERP), Community Service Management System (CSMS), Electronic Health Record (HER) एवं सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एकीकृत समावेश रहेगा।

9.2 Dashboard को तैयार करने वाली एजेंसी विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिष्ठापित CCTV युक्त Control Centre एवं HMIS से Integaration करने का कार्य भी करेंगी।

9.3 मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित Application को State Data Centre, Ranchi पर Host किया जायेगा।

68(17)
01/09/2025

किरण सोरेंग (अवर सचिव।)	विद्यानंद शर्मा पंकज (अपर सचिव)	अजय कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव।)

221

9.4 केन्द्रीकृत Dashboard बनाने हेतु बाह्य एजेन्सी का चयन निविदा के माध्यम से किया जाएगा एवं चयनित एजेन्सी को प्रथम तीन वर्षों के लिए कार्यादेश दिया जाएगा जिसमें प्रथम छः माह के दौरान एजेन्सी के द्वारा Dashboard का निर्माण एवं इससे संबंधित प्रशिक्षण राज्य से लेकर जिला स्तर के सभी कर्मियों को दी जाएगी। एजेन्सी के द्वारा शेष अवधि के दौरान Dashboard को पूर्णतः क्रियान्वित किया जाएगा।

9.5 Dashboard के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु अनुमानित लागत निम्नवत् हैः–

SN	Particular	Unit	Tentative Cost(in INR lakh)	Proposed Budget (in INR Lakh)		
				1st Year	2nd Year	3rd Year
1	**Data Analytics/Visualization Software**	1	**300**	**200**	**50**	**50**
2	**PMU for Operations**		**936**	**312**	**312**	**312**
2.1	Consultant (6 to 10 years)	4	504	168	168	168
2.2	Consultant (3 to 6 years)	4	432	144	144	144
3	**Total Estimated Budget**		**1236**	**512**	**362**	**362**
4	**Contingency @10%**		123.6	51.2	36.2	36.2
5	**Grand Total (3+4)**		**1359.6**	**563.2**	**398.2**	**398.2**

Dashboard **अधिष्ठापन एवं संचालन राज्य स्तर में करने हेतु कुल राशि 1359.6 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है एवं Dashboard बनाने हेतु बाह्य एजेन्सी का चयन निविदा के माध्यम से किया जाएगा।**

10. राज्य स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखण्ड इस योजना को पूर्णरूपेण अंगीकृत करेगी एवं योजना का क्रियान्वयन आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के द्वारा किया जायेगा। इस योजना में आयुष्मान भारत डिजीटल के साथ कोई दोहराव नहीं है अपितु यह दोनों एक दूसरे का पूरक होंगे।

10.1 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राज्य अभियान निदेशक ही मुख्यमंत्री डिजिटल हैल्थ योजना के परियोजना निदेशक होंगे। इस परियोजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व परियोजना निदेशक का होगा। परियोजना निदेशक विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए योजना का क्रियान्वयन करेंगे।

10.2 मुख्यमंत्री डिजिटल हैल्थ योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखण्ड के राज्य स्तरीय पी0एम0यू0 एवं अन्य तकनीकी PMU सहयोग करेंगे।

10.3 जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु एक जिला स्तरीय PIU (Project Implementation Unit) का गठन किया जाएगा, जो निम्न प्रकार से होंगे–

1. उपायुक्त– अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त– उपाध्यक्ष
3. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी– सदस्य सचिव

68(17)
02/09/2025

किरण सोरेंग (अवर सचिव।)	विद्यानंद शर्मा पंकज (अपर सचिव)	अजय कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव।)

4. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी– सदस्य
5. जिला कार्यक्रम प्रबंधक– सदस्य
6. परियोजना समन्वयक, ए०बी०डी०एम०– सदस्य

10.4 संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव समय–समय पर पी०आई०यू० की बैठक अध्यक्ष की अनुमति से बुलायेंगे तथा योजना से सबंधित प्रगति प्रतिवेदन पी०आई०यू० की बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

10.5 योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर गठित पी०आई०यू० के द्वारा प्रत्येक माह परियोजना की समीक्षा की जाएगी एवं ससमय योजना पूर्ण कराने हेतु आवश्यक पहल करेगी।

10.6 जिला स्तरीय पी०आई०यू० योजना का सतत अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी।

10.7 राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु एक PIU (Project Implementation Unit) का गठन किया जाएगा, जो निम्न प्रकार से होंगे–

1. निदेशक, रिम्स– अध्यक्ष
2. अपर निदेशक, रिम्स– सदस्य
3. अधीक्षक, रिम्स– सदस्य सचिव
4. डीन शैक्षणिक– सदस्य
5. संयुक्त निदेशक, समन्वय (ABDM)– सदस्य
6. नोडल पदाधिकारी, आई० टी० कोषांग– सदस्य

10.8 अधीक्षक, रिम्स–सह–सदस्य सचिव समय–समय पर पी०आई०यू० की बैठक अध्यक्ष की अनुमति से बुलायेंगे तथा योजना से सबंधित प्रगति प्रतिवेदन पी०आई०यू० की बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

10.9 राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री डिजिटल हैल्थ योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु पी०आई०यू० का गठन किया जाएगा जो निम्न प्रकार से होगा–

1. विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव– अध्यक्ष
2. MD,JMHIDPCL - सदस्य
3. राज्य अभियान निदेशक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखण्ड सह परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री डिजिटल हैल्थ योजना– सदस्य सचिव
4. योजना से संबंधित विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव– सदस्य
5. संयुक्त निदेशक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखण्ड– सदस्य

10.10 राज्य अभियान निदेशक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखण्ड–सह–परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री डिजिटल हैल्थ योजना–सह–सदस्य सचिव समय–समय पर पी०आई०यू० की बैठक अध्यक्ष की अनुमति से बुलायेंगे तथा योजना से सबंधित प्रगति प्रतिवेदन पी०आई०यू० की बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

किरण सोरेंग (अवर सचिव।)	विद्यानंद शर्मा पंकज (अपर सचिव)	अजय कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव।)

219

10.11 योजना के कियान्वयन हेतु चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला स्तर पर दो तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किए जाऐंगे, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल हैल्थ योजना के सम्पूर्ण कार्यों के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। अतः कुल 54 तकनीकी विशेषज्ञों एवं अन्य आवश्यक्तानुसार विशेषज्ञों की सेवाऐं संविदा/बहाय् स्त्रोत एजेन्सी के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

10.12 मुख्यमंत्री डिजिटल हैल्थ योजना के वृहद प्रचार–प्रसार एवं सभी स्तर पर चिकित्सा पदाधिकारी, पाराकर्मी एवं अस्पताल प्रबंधन से संबंधित कर्मियों का क्षमता सम्बर्धन आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के द्वारा किया जायेगा।

10.13 योजना के कियान्वयन हेतु मानव संसाधन में प्रतिवर्ष रू0 300 लाख यथा कुल पाँच वर्षों हेतु 15 करोड एवं क्षमता सम्बर्धन हेतु प्रतिवर्ष राशि 2.00 करोड़ यथा कुल पाँच वर्षों हेतु 10.00 करोड़ व्यय किया जायेगा।

11. उपरोक्त कंडिका 05 से 10 के आलोक में निम्न वित्तीय व्यय अनुमानित हैः–

क्रमांक	योजना का नाम	अनुमानित योजना राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1.	सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यकतानुसार आई0टी0 हार्डवेयर यथा Computer, Printer, Scanner, Display Board, Biometric Scanner, ABHA Card Scanner इत्यादि सामग्री	4921.28	JHARKHAND MEDICAL AND HEALTH INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND PROCUREMENT CORPORATION LIMITED के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से
2.	चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि में High Speed Internet/ Managed WIFI एवं राज्य मुख्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं समस्त जिला अस्पतालों में एक अत्याधुनिक CCTV युक्त Control Centre में ILL (Internet Lease line) की सुविधा	11711.78	BSNL को मनोनयन के आधार पर
3.	सभी चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में Health Management Information System (HMIS) का क्रियान्वयन	2385.87	CDAC को मनोनयन के आधार पर
4.	राज्य मुख्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं समस्त जिला अस्पतालों में एक अत्याधुनिक CCTV युक्त Control Centre का निर्माण	7052.19	JHARKHAND MEDICAL AND HEALTH INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND PROCUREMENT CORPORATION LIMITED के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से
5.	स्वास्थ्य योजनाओं की बेहतर समीक्षा एवं नीति निर्धारण हेतु विभागीय स्तर पर एक Dashboard तैयार किया जाएगा जिससे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक ही स्थान पर अनुश्रवण	1359.6	JHARKHAND MEDICAL AND HEALTH INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND PROCUREMENT CORPORATION LIMITED के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से
6.	डिजीटल हेल्थ योजना हेतु मानव संसाधन, क्षमता सम्बर्धन एवं प्रचार–प्रसार हेतु अनुमानित राशि	2500.00	आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के माध्यम से
	कुलः–	**29930.72**	

12. इस योजना के तहत् प्रथम वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025–26) में रूपया 175.00 (एक सौ पच्चहत्तर करोड़) रूपये, द्वितीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2026–27) में रूपया 50.00 (पचास करोड़) रूपये तथा शेष तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2027–28, 2028–29, 2029–30) में प्रति वर्ष 24.76 (चौबीस करोड़ छिहत्तर लाख) रूपया Operation and Maintenance में खर्च होना अनुमान्य है।

68(17)
01/09/2025

किरण सोरेंग	विद्यानंद शर्मा पंकज	अजय कुमार सिंह
(अवर सचिव।)	अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव।

218

13. योजना में होने वाले व्यय का वहन राज्य योजना मद अंतर्गत बजट शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–001–निदेशन और प्रशासन (796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना)–93–सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ–07–अन्य व्यय–81–सूचना, संचार एवं संचरण (विपत्र कोड 20–एस–2210–01–001(796 सहित)–93–07–81) के अधीन उपबंधित राशि से किया जाएगा।

14. राज्य योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड होंगे, जो राशि की हस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, झारखण्ड, राँची के पी0एल0 खाता में करेंगे। प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, झारखण्ड, राँची राशि को सभी संबंधित को उनके द्वारा किये गये वास्तविक कार्यों के अनुसार राशि का भुगतान/हस्तांतरण करेंगे। भुगतान करने से पूर्व राज्य अभियान निदेशक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखण्ड–सह–परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर लेगें।

15. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत Technical Vetting के लिए दिनांक–03.12.2024 को OSD, JAP-IT की अध्यक्षता में Technical Review Committee (TRC) JAP-IT की बैठक जिसमें सीडैक के पत्रांक–सीडैक–एन0/एच0एम0आई0एस0–राँची/2024/11 दिनांक–25.10.2024 एवं बी0एस0एन0एल0 के पत्रांक–CGMT/JKD/EB/NHM/2024-25-20 दिनांक–23.10.2024 द्वारा समर्पित प्रोजेक्ट प्रोपोजल की Vetting की गयी है, के सभी सुझाव इस स्वीकृत्यादेश के साथ सह–पठित है एवं इस स्वीकृत्यादेश के भाग होंगे। (प्रति संलग्न)

16. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अन्तर्गत एक पी0एल0 अकाउण्ट खोल कर इस योजना के कार्य हेतु राशि का आवंटन भविष्य में किया जायेगा।

17. इस स्वीकृत्यादेश के आलोक में आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा। आवंटित की जाने वाली राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड होंगे, इस राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, राँची होंगे।

18. इस योजना के लिए आवंटित राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार, राँची से वित्त विभागीय आदेश सं0 2561 वि0(2), दिनांक 17.04.98 एवं 1800, दिनांक 15.07.2003 के आलोक में सभी नियमो का निर्वहन करते हुए किया जाएगा।

19. राशि का व्यय वित्तीय नियमावली एवं समय–समय वित्त विभाग द्वारा निर्गत सरकारी आदेशों/विभागीय आदेशों के अनुरूप सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा। इसका पूर्ण दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगी।

20. यह एक नई योजना है। मंत्रिमण्डल सचिवालय के पत्रांक 1269, दिनांक 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृति दी जा रही है।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

68(17)
02/09/2025

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या– 17/ABDM 01–06–2024 68 (17) राँची, दिनांक –01.09.2025

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना तथा विकास विभाग/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड /माननीय मंत्री स्वा०, चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड/कम्प्यूटर सहायक, योजना बजट प्रशाखा, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

किरण सोरेंग	विद्यानंद शर्मा पंकज	अजय कुमार सिंह
अवर सचिव।	अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव।

68 (17)
01/09/2025